संख्या– 1712/26–2–2010–3मु0स0/2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2010**

विषय–उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 411/26–2–2010–3मु0स0/2010 दिनांक 30 मार्च 2010, पत्र संख्या 1195/26–2– 2010 दिनांक 17 अप्रैल 2010 तथा पत्र संख्या 1288/26–2–2010–3मु0स0/2010 दिनांक 23 अप्रैल 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दी गयी समय–सारिणी के अनुसार सर्वेक्षण का कार्य इस समय तक समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सर्वेक्षण हुआ भी है उसका डाटा एन0आई0सी0 के साफटवेयर में लोड नहीं कराया जा रहा है। यह निर्देश दिये गये थे कि जो सर्वेक्षण होता जाय उस डाटा को कम्प्यूटरीकृत कराते हुए उसके चेकिंग/सत्यापन आदि का कार्य साथ साथ कराना सुनिश्चित किया जाय। यह हो सकता है कि कुछ जनपदों में कम्प्यूटरीकरण हेतु एजेंसी आदि तय करने में कुछ विलम्ब हुआ हो। ऐसी स्थिति में यह प्रयास किया जाय कि जनपदों का सर्वेक्षण डाटा कम्प्यूटर एजेंसी के माध्यम से दिन रात काम चलाकर कम्प्यूटरीकृत कराकर तुरन्त एन0आई0सी0 के साफटवेयर के माध्यम से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

इस संबंध में पुनः आपका ध्यान आकृष्ट कराना है कि जो भी डाटा कम्प्यूटर में डाला जाय उसका सर्वे फार्म से मिलान एवं सही सत्यापन कराने का कार्य एजेंसी के माध्यम से शत प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाय एवं इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विकास विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लगाकार शासकीय रूप से भी डाटा की सत्यता की चेकिंग एवं सत्यापन के उपरान्त ही सर्वे की सूचना के प्रेषण का कार्य किया जाय। पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि डाटा को सही रूप से सर्वे के माध्यम से एकत्रित करने, सही डाटा इन्ट्री कराने एवं ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत की जाने वाली तीनों सूचियों को सही रूप से तैयार करने एवं प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी का होगा। कृपया इस कार्य को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाय। यदि डाटा फीडिंग अथवा चेकिंग के उपरान्त कोई गड़बड़ी बाद में पायी जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

जनपदों द्वारा अभी कुछ न्याय पंचायतों का ही डाटा एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जनपद स्तर पर इस कार्य को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि जो भी डाटा सर्वेक्षणोपरान्त

जनपद मुख्यालय पर प्राप्त होता है उसे तत्काल एन0आई0सी0 के साफटवेयर में लोड करा दिया जाना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि समस्त सर्वेक्षण डाटा को शीघ्रातिशीघ्र कम्प्यूटरीकृत कराते हुए यथा आदेशित चेकिंग एवं सत्यापन कार्य एजेंसी तथा सरकारी कर्मचारियों से कराते हुए एन0आई0सी0के साफटवेयर में शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कराने का कष्ट करें तथा प्रगति से लगातार अवगत कराते रहें।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

पृ0सं0 17/2 (1)/26–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0
3. निदेशक,एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को प्रेषित करने एवं समाज कल्याण विभाग की बेवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0) उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।